रिवाज व चलन में शरीअत का दृष्टिकोण

इस्लामी शरीअत की विशेषता यह है कि वह जीवन की समस्याओं के सम्बन्ध में बीच का रास्ता अपनाती है और किसी मामले में उग्र नहीं होती। शरीअत न तो ज़माने के साथ इस तरह बदलती रहती है कि उसका अपना कोई स्थाई स्वरूप ही न रहे और ज़माने की हर रीति रिवाज को अपनाती चली जाए कि उसके अनुसार खुद को फिट करना ही उसका उद्देश्य हो जाए। न शरीअत ऐसी जड़ित है कि किसी ज़माने में समाज के आम चलन के प्रति उसका कोई दृष्टिकोण ही न हो। जो क़ानून जीवन की गति के साथ चलना चाहता हो और हर ज़माने में इंसान के मार्गदर्शन का दावा करता हो, उसके लिए अपरिहार्य (नागुज़ीर) है कि वह किसी ज़माने के विशेष रिवाजों के साथ एक ख़ास हद तक तालमेल पैदा करे और उन्हें क़बूल करने की गुंजाईश निकाले।

इस लिहाज से इस्लामी फ़िक्ह के बहुत से सिद्वांत रिवाज और चलन के आधार पर भी विकसित हुए हैं।

क़ुरआन व सुन्नत और सहाबा व फ़िक्ह के इमामों के कल्पनात्मक फैसलों से रिवाज व चलन के प्रभावी होने का सूबूत मिलता है और इस बात पर आम सहमति है। इस परिदृश्य में इस्लामी फ़िक्ह में रिवाज व चलन (उर्फ व आदत) की हैसियत और उसके प्रभावी होने के स्थिति व इसके सिद्वांत शर्तें समझने के लिए इस्लामी फ़िक्ह अकेडमी के आठवें वार्षिक सेमिनार में ग़ौर किया गया, यह सेमिनार 22-24 अक्टूबर 1995 (27-29 जमादिउल-अव्वल 1416 हिजरी) को अलीगढ में आयोजित हुआ। सेमिनार में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए।

उर्फ़ (रिवाज) की हकीकत और उसकी क़िस्में

1- उर्फ का शब्दिक अर्थ होता है जानी पहचानी चीज़ या बात। शरीअत की इस्तेलाह (परिभाषा) में उर्फ़ से मुराद ऐसी बातों और कामों से है जो समाज में प्रचलित हों और लोगों के व्यवहार में हों।

2- आदत का शाब्दिक अर्थ है कोई ऐसी बात या काम जो बार बार पेश आए। शरीअत की शब्दावली में इसका मतलब है कोई ऐसी बात जो इस तरह बार बार व्यवहार में आए कि व्यवहार का हिस्सा बन गयी हो और सरल हो गयी हो।

3- उर्फ व आदत में कोई वास्तविक अन्तर नहीं है, केवल इनकी व्याख्या में अन्तर है।

4- उर्फ़ और इजमाअ (आम राय) में अन्तर यह है उर्फ तो आम लोगों के व्यवहार को कहते हैं जबकि इजमाअ इजतिहाद का अधिकार रखने वाले फ़िक्ह के आलिमों (मुजतहिदीन) की सहमति का नाम है।

5- उर्फ़ दो तरह के होते हैं - उर्फ़-ए-क़ौली (बोल-चाल का चलन) और उर्फ़-ए-अमली (व्यवहार का चलन)। कोई बात या कोई शब्द किसी समाज में या आम लोगों की बोल चाल में इस तरह से हो कि लोग उसका एक

विशेष मतलब समझते हों, भले ही उसका शाब्दिक या तार्किक अर्थ वह न हो, तो उसे उर्फ-ए-क़ौली कहते हैं। कोई काम लोगों के व्यवहार का हिस्सा बन कर एक रिवाज की तरह प्रचलित हो जाए तो उसे उर्फ़-ए-अमली कहते हैं।

6- यह दोनों तरह के उर्फ़ शरीअत में मान्य हैं। इसलिए दुनिया के अधिकांश मुसलमानों में जो काम आमतौर से प्रचलित हो जाएं वे उर्फ-ए- आम हैं और जो किसी क्षेत्र विशेष के लोगों तक सीमित हों वे उर्फ़-ए-ख़ास हैं।

7- हर वह रिवाज और चलन जो शरीअत के किसी प्रत्यक्ष निर्देश नस (क़ुरआन व सुन्नत) या उसके मक़सद और निहितार्थ से टकराता हो वह फ़ासिद (बिगाड़ पैदा करने वाला) क़रार दिया जाएगा। जैसे - प्रचलित दहेज़ या रकम का मुतालबा करना, लडकियों को विरासत से महरूम रखना, गिरवी ज़मीनों से फ़ायदा उठाना वगैरह।

उर्फ़ के मान्य होने की शर्तें

शरीअत में उर्फ़ का लिहाज़ तभी रखा जाएगा जब निम्न चार शर्तें पूरी होती हों।

1- उर्फ़ व्यापक दायरें में हो यानि समाज में उस का चलन शत-प्रतिशत हो या अधिकतर लोग सामान्य रूप से उसको अपनाए हुए हों।

2- किसी मामले के सामने आने से पहले से वह उर्फ प्रचलित रहा हो और मामले के समय भी उसका चलन हो।

3- मामला करनेवालों की तरफ से उर्फ़ के खिलाफ़ कोई स्पष्टीकरण मौजूद न हो।

4- उर्फ़ को अपनाने में शरीअत के किसी मूलभूत सिद्वांत और मौलिक निर्देश का उल्लंघन न होता हो।

उर्फ़ और शरई तर्क में टकराव

1- उर्फ़ अगर किसी ''आम नस'' (सामान्य शरई निर्देश) से इस तरह भिन्न हो कि उर्फ़ पर अमल करने से शरई निर्देश को छोड़ना ज़रूरी न हो बल्कि नस तख़्सीस (उसको सीमित करना) ही ज़रूरी हो तो इस स्थिति में उर्फ़ के आधार पर शरई निर्देश की तख़्सीस उचित होगी।

2- अगर उर्फ़-ए- आम नस से टकराता हो और स्थिति यह हो कि उर्फ पर अमल करने में नस का उल्लंघन होता हो तो उर्फ़ अस्वीकार्य होगा और मान्य न होगा।

3- जिन नुसूस का उर्फ पर आधारित होना साबित हो उनमें उर्फ़ के बदलाव से निर्देश में बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन किसी नस के बारे में यह तय करना कि उसका आधार उर्फ है, नाज़ुक और बड़ी ज़िम्मेदारी वाला काम है। यह फ़ैसला इस्लामी धर्मशास्त्रि और दीनी उलूम पर गहरी नज़र रखनेवाले खुदा तर्स आलिम और फ़िक़्ही विद्वान सामूहिक रूप में ही कर सकते हैं।

4- अगर उर्फ़ किसी ऐसी बात से टकराता हो जिसका सबूत केवल क़ियास (कल्पना) से हो तो उर्फ़ को प्राथमिकता दी जाएगी और क़ियास को छोड़ दिया जाएगा।

5- अगर उर्फ़-ए-ख़ास का दायरा बहुत सीमित हो तो उसके आधार पर क़ियास को छोड़ना ठीक नहीं।

6- अगर उर्फ़-ए-ख़ास का दायरा बहुत व्यापक हो तो उसके आधार पर क़ियास को छोड़ना ठीक है।

7- अगर उर्फ़ शरीअत के किसी मौलिक उद्देश्य से टकाराता हो तो वह उर्फ़ मान्य नहीं होगा।

उर्फ़ के बदलाव से आदेश में बदलाव

1- ज़ाहिर रिवायत के जो मसाइल क़ुरआन व सुन्नत से साबित हों उन्हें उर्फ़ के आधार पर छोड़ा नहीं जाएगा, किन्तु ज़ाहिर रिवायत के दूसरे मसाइल उर्फ़ के आधार पर छोड़े जा सकते हैं।

2- अगर एक फ़िक्ही वर्ग में नक़ल की गयी बात उर्फ़ के ख़िलाफ़ हो और दूसरे फ़िक्ही वर्ग में ऐसी राय मौजूद हो जो उर्फ़ व आदत के अनुसार हो तो ऐसी स्थिति में शर्तों का ध्यान रखते हुए उर्फ़ के अनुसार निर्देश को अपनाना उर्फ पर अमल करना है, इसे उदूल (सिद्धांत से हटना) नहीं कहा जाएगा।

3- जो फ़िक्ही निर्देश नुसूस के बजाए केवल उर्फ़ व आदत पर आधारित हों उन में उर्फ़ के बदलाव की स्थिति में नए उर्फ़ के अनुसार ही फ़ैसला होगा।

☆☆☆